न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, भोपाल म.प्र.

निगरानी प्रकरण कं ..../2017

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा/2017/4175

1. सुभाष आ. श्री मोहनलाल गौर

2. गुट्टूलाल आ. श्री मोहनलाल गौर,
दोनो आयु वयस्क, दोनो निवासी–
ग्राम – सोमलवाडा, तहसील सिवनी मालवा,
जिला होशंगाबाद म.प्र. --- आवेदक/अपीलार्थीगण

विरूद्ध

गौरीशंकर आ. श्री परसराम रघुवंशी,
आयु 70 वर्ष, निवासी–ग्राम – सोमलवाडा,
तहसील सिवनी मालवा,
जिला होशंगाबाद म.प्र. --- अनावेदक/उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद द्वारा पारित सीमांकन प्रकरण कं 25/अ–12/2009–10 गौरीशंकर बनाम सर्वसाधारण में पारित आदेश दिनांक 09.07.2010 से दुखित होकर उक्त अपीलार्थीगण निम्नांकित तथ्यों व वैधानिक आधारो पर उक्त पुनरीक्षण याचिका माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / होशंगाबाद / भू.रा. / 2017 / 4175

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
7–11–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, सिवनी मालवा के आदेश दिनांक 9–7–2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 1--11–2017 को लगभग 6 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में बताये गये हैं, वह विलम्ब का सद्भाविक कारण नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	